न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06/2016	24/05/2016	30/1/26

रामचरण पुत्र श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी छत्रपुरा कुम्हारिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, पीपल्दा जिला कोटा राज

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र सिंह एड0।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छत्रपुरा उर्फ कुम्हारिया में सेंटलमेंट से पूर्व खतौनी संख्या 38 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015 से 24 पर निम्न आराजियात मन्ना वल्द नेनगा जाति मीणा के खाते दर्ज थी खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा बारानी चाहरम, खसरा नं0 60 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बारानी चोहरम, खसरा नं0 88 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नं0 89 3 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नं0 134 रकबा 2 बिस्वा खेडा अव्वल, ख0नं0 157 रकबा 11 बिस्वा खेडा अव्वल, ख0नं0 178 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा माल अव्वल, ख0नं0 204 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा बारानी अव्वल, ख0नं0 205 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा बारानी चाहरम कुल किता 9 कुल रकबा 43 बीघा 14 बिस्वा नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 35 संवत् 2031 से 34 नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 6 संवत् 2035 से 38, नकल खातौनी भूप्रबन्ध विभाग संवत् 2041 से 60 व मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमाबन्दी नवीन, एवं नकशा नवीन व नकशा पुराना संलग्न प्रार्थना–पत्र है। नकल जमाबन्दी खातौनी संख्या 6 संवत् 2035 से 38 में उक्त आराणी श्रीमति गुजाब जोजे रामनाथ व रामचरण वल्थ रामनाथ के खाते हिस्सा बराबर वर्ग थी । बाद सेंटलमेंट उपरोक्त वर्णित आराजियात के निम्न नवीन खसरा नम्बर 36 रकबा 0.45है0, ख0नं0 53 रकबा 0.25है0, 297 रकबा 0.66है0, ख0नं0 319 रकबा 0.02है0, ख0नं0 212 रकबा 0.07है0, ख0नं0 208 रकबा 0.16है0, ख0नं0 66 रकबा 2.87है0, ख0नं0 39 रकबा 0.95है0, ख0नं0 38 रकबा 1.01है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.44है0 बनाये गये है। सैटलमेंट विभाग द्वारा बाद बन्दोबस्त सैटलमेंट के पूर्व के रकबे के अनुरूप 43 बीघा 14 बिस्वा के समक्ष भुमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करनी चाहिये थी, जबकि 6.44 हैक्टर भूमि दर्ज की है, जो कि 40 बीघा 4 बिस्वा बनती है। इस प्रकार सेंटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के खाते में 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम दर्ज की है। सैटलमेंट विभाग द्वारा 0.50 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खाते में कम दर्ज की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा 6.94 हेक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करनी चाहिये थी, सेंटलमेंट विमाग त्रुटि का 0.50 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खाते में कम दर्ज की है, जबकि प्रार्थी मौके पर सैटलमेंट के पूर्व के रकबे के अनुरूप भूमि पर काबिज है। मौके पर नक्शे में कब्जे में पुरी जमीन है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में सेंटलमेंट विभाग द्वारा भूमि कम दर्ज की गई है, सेंटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 60 रकबा रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा था, जिसका नवीन खसरा नम्बर 53 रकबा 0.25 हेक्टर बनाते हुये, 0.02 हेक्टर भूमि इस रकबे में बढ़ा दी है तथा खसरा नम्बर 205 मि० जिसका कि सेंटलमेंट से पूर्व

रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा था, उसके दो नम्बर बनाते हुये, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 39 रकबा 0.95 हैक्टर कुल 1.96 हेक्टर बनाये गये हैं, जो कि 12 बीघा 4 बिस्वा के समकक्ष होते हैं, इस प्रकार उपरोक्त दोनो नम्बरान में 2 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 0.44 हैक्टर भूमि कम दर्ज की है, इसी प्रकार सेंटलमैट से पूर्व का खसरा नम्बर 204 जिसका रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा था, बाद सेंटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 66 रकबा 2.87 हेक्टर कायम किया है, जो कि 17 बीघा 15 बिस्वा के समकक्ष बैठता है, इस प्रकार उपरोक्त नम्बरान में 1 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 0.18 हेक्टर भूमि कम दर्ज की हैं, इस प्रकार सैटलमेंट विभाग द्वारा बाद सैटलमेट राजस्व रेकॉर्ड में 0.50 हैक्टर भूमि कम दर्ज की है, जिसकी दुरस्ती किया जाकर प्रार्थी को सेंटलमेंट के पूर्व के रकबे के अनुरूप 6.94 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करनी चाहिये, जबकि 6.44 हेक्टर भूमि दर्ज की है, इस प्रकार 0.50 हैक्टर कमी रकबे की पूर्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी सेंटलमेंट से पूर्व की 43 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी का उसी के अनुरूप कब्जा है। केवल मात्र सेंटलमैट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में ही त्रुटि की है, जिसे दुरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि की जानकारी राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर हुयी, तत्पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा से रेकार्ड की दुरस्ती बाबत निवेदन किया, किन्तु उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई, इस कारण न्यायालय श्रीमान की शरण में आना पडा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छत्रपुरा उर्फ कुम्हारिया पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में स्थित वर्तमान खातौनी संख्या 93 नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 71 में दर्ज आराजी कुल 9 कित्ता रकबा कुल 6.44 हैक्टर, जो कि सेंटलमेंट से पूर्व खातौनी संख्या 38, 35, 6 में रकबा 43 बीघा 14 बिस्वा दर्ज था। जिसमें कि सेंटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिवंश 0.50 हैक्टर भूमि सेंटलमेंट के पूर्व के रकबे के अनुरूप 6.94 हैक्टर दर्ज नहीं करके 0.50 हैक्टर भूमि कम दर्ज की है, सैटलमेट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में दुरस्ती की जाकर 6.94 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज की जावे तथा 0.50 हैक्टर कमी रकबे की पूर्ति की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अलवोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार अनुसार ग्राम छत्रपुरा की जमाबन्दी 2072–75 के खाता सं0 103 में कुल खसरे 9 में रकबा 6.44है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम छत्रपुरा उर्फ कुम्हारिया सेन्टलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2079–60 में कुल खसरे 9 और कुल रकबा 43 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड है।

अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए 0.50है0 कमी रकबे की पूर्ति के लिए निवेदन कर अनुतोष चाहा। पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2015–2024 की खातौनी बंदोबस्त में ख0नं0 53, 60, 88, 89, 134, 157, 178, 204, 205 रकबा क्रमशः 1 बीघा 17 बिस्वा, 1 बीघा 7 बिस्वा, 1 बीघा 3 बिस्वा, 3 बीघा 18 बिस्वा, 2 बिस्वा, 11 बिस्वा, 11 बीघा 2 बिस्वा, 18 बीघा 17 बिस्वा, 14 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 9 कुल रकबा 43 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है। जो मन्ना वल्द नेनगा के नाम दर्ज है। यही रिकॉर्ड जमाबन्दी 2031–34 में बदस्तूर जारी रहा तथा जमाबन्दी संवत 2035–38 में यही खसरा नम्बरान व रकबा गुलाब जोजा रामनाथ व रामचरण बल्द रामनाथ दर्ज हुआ। जिनके नवीन खसरा नम्बरान पश्चात सेटलमेंट 36, 53, 297, 319, 212, 208, 66, 39, 38 रकबा क्रमशः 045.है, 0.

25है0, 0.66है0, 0.02है0, 0.07है0, 0.16है0, 2.87है0, 0.95है0, 1.01है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.44है0 पैमूद किये गये तथा 0.50है0 की कमी कुल रकबे में दर्ज हुई। परन्तु यह कमी किस रकबे में वृद्धि हुई तथा प्रार्थी इसकी पूर्ति किस/किन खसरों से कराना चाहता है। नक्शे ट्रेस में भी सीमावर्ती कोई भूमि सिवायचक या निजी खातेदारी का कोई उल्लेख नहीं है जिनसे कमी रकबे की पूर्ति की जा सके। प्रार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट करना था कि कमी रकबे की संगत वृद्धि कहां और कितनी हुई क्योंकि सम्पूर्ण ग्राम का रकबा नियत व स्थिर है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि निकटवर्ती किस खसरे में या किन खसरों में कमी रकबे की समान बेशी दर्ज हुई है। जवाब सरकार से भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूर्ति कहां से की जाये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा